कार्यालय नगर निगम कोटा, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा

Website :www.kotamc.org, Email : nnkota@gmail.com, Tel.Pho. 0744-2502142

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक :–न.नि.को./उपा.रा./2026/10033-46 दिनांक: 16/7/26

–: ई–निविदा सूचना :–

नगर निगम कोटा द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में निम्न विज्ञापन प्रदर्शन के वार्षिक लाईसेन्स हेतु द्विवार्षिक ठेका से राजस्व वसूली हेतु दो वर्ष 2026–28 के लिये (कार्यादेश से 2 वर्ष तक) के लिये 2 Bid1 Stage प्रद्वति के अनुसार ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.		
1	कार्य का नाम	विज्ञापन प्रदर्शन के द्विवार्षिक लाईसेन्स हेतु (प्रत्येक यूनिपोल पर एक तरफा विज्ञापन पट्ट (साईज 20' X 10' = 200 वर्गफुट)यूनिपोल
2	धरोहर राशि	आरक्षित राशि का 2% www.kotamc.org site पर जाकर Online जमा करावे। (संलग्न सूची अनुसार प्रति यूनिपोल)
3	परफोरमेन्स गारंटी राशि (PG राशि)	10%कार्यादेश राशि का
4	ऑन लाईन निविदा प्रपत्र मिलने एवं ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	दिनांक 22/7/26 से 10/08/26 समय 6.00 बजे तक
5	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक 11/08/26 समय 4.00 बजे
6	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड में सफल संवेदको की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त खोली जावेगी।
7	अपेक्षित दस्तावेज/राशि जमा का प्रमाण प्रस्तुत कराने की तिथि	दिनांक 10/08/26 को साय 6.00 बजे तक
8	निविदा शुल्क	2000/–रूपये www.kotamc.org site पर जाकर Online जमा करावे।
9	प्रोसेसिंग शुल्क	500/–रूपये www.kotamc.org site पर जाकर Online जमा करावे।

नोट :– इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम कोटा की वेबसाइट www.kotamc.org व http://sppp.rajasthan.gov.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in से देखकर एवं डाउनलोड कर सकते है।

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा

R.O. AAO CAO/DC(R) ADC

Private Unipol Nivida 26-27.59

क्रमांक :–न.नि.को./उपा.रा./2026/10033-46 दिनांक: 16/7/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगर निगम कोटा।
2. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा।
3. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदया, नगर निगम कोटा।
4. उपायुक्त, जोन–1/जोन–2/जोन–3/जोन–4/जोन–5, नगर निगम कोटा।
5. मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा।
6. राजस्व अधिकारी, जोन 1, 2, व 5, नगर निगम कोटा।
7. राजस्व अधिकारी, जोन 3 व 4, नगर निगम कोटा।
8. राजस्व निरीक्षक/सहा. राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कोटा।
9. पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम, कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त ई–निविदा सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका के कोटा जिला स्तरीय संस्करण में प्रकाशित करावें।
10. कार्यालय अधीक्षक सामान्य, नगर निगम, कोटा।
11. ओसवाल डाटा प्रोसेस को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना नगर निगम की वेबसाईट **www.kotamc.org** पर डालने का श्रम करें।
12. प्रभारी अधिकारी, NIC को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन राज्य लोक उपापन समिति **SPPP Portal** पर करना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित लिपिक, ... नगर निगम कोटा।
14. नोटिस बोर्ड चस्पा/गार्ड फाईल।

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा

R.O. AAO CAO/DC(R) ADC

Private Unipol Nivida 26-27.60

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

–: तकनीकी बिड :–

1. कार्य का नामः– नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में निविदा में संलग्न सूची अनुसार चिन्हित स्थानों पर यूनिपोल विज्ञापन पट्ट (20' X 10' = 200 वर्गफुट) पर एक तरफा विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति
2. कार्य की अवधि :– कार्यादेश से दो वर्ष 2026–28 हेतु
3. **निविदादाता का स्वःहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो बॉक्स में चस्पा करें।**
4. **निविदादाता स्वंय के स्थाई अंकित पते की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। फोटो एवं स्थाई अंकित पते के पुष्टि स्वरूप नल, बिजली, टेलिफोन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस में से एक की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।**
5. **आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।**
6. **बैंक खाता पासबुक व कैंसिल चैक की सत्यप्रतिलिपि।**
7. **दो वर्षो 2023–24 व 2024–25 की आयकर रिटर्न स्व.प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।**
8. **व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं आई०डी० की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करें।**
9. **डी.डी. निविदादाता/फर्म/व्यक्ति के नाम से तैयार किया गया होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।**
10. **समस्त प्रकार की निविदा राशि का डी.डी. अलग–अलग प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
11. **फर्म द्वारा इस आशय का 100/– शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/फर्म/इच्छुक व्यक्ति पर नगर निगम कोटा राजस्व अनुभाग की कोई राशि बकाया नही है तथा नगर निगम कोटा के सदस्य/कार्मिक का प्रथम श्रेणी रक्त संबंधी नही होने एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

नोट :– **तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं० 3 से 11 तक के दस्तावेज साफ पढने योग्य स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही तकनीकी बिड सफल मानी जावेगी अन्यथा बगैर किसी उज्र के निविदा से असफल मानकर बाहर कर दिया जावेगा।**

हस्ताक्षर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर

नामः– .....

पिता का नामः– .....

पूर्ण पताः– .....

.....

मोबाईल नं० :–.....

RO. AAO CAO/DC(R) ADC

Private Unipol Nivida 26-27.61

कार्यालय नगर निगम कोटा, राजस्थान

–: वित्तीय बिड :–

1. कार्य का नाम :– नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में निविदा में संलग्न सूची अनुसार चिन्हित स्थानों पर यूनिपोल विज्ञापन पट्ट (लम्बाई 20' X 10' चौडाई = 200 वर्गफुट) पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति
2. कार्य की अवधि :– कार्यादेश से दो वर्ष 2026–28 हेतु
3. अनुमानित न्यूनतम बोली राशि :– प्रति यूनिपोल साईटों के लिये संलग्न सूची अनुसार।
4. वित्तीय बिड खोलने की तिथि :– तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत।
5. वित्तीय बिड में उच्चतम बोली प्रस्तावित करने वाले को ही प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत सफल निविदादाता माना जायेगा।
6. निविदादाता का नाम व स्थाई पता :–.....
   मय फोन नं0 .....
7. कोटा नगर निगम सीमा क्षेत्र में निविदा में संलग्न सूची अनुसार चिन्हित स्थानों पर यूनिपोल विज्ञापन पट्ट (20' X 10' = 200 वर्गफुट) पर एक तरफा विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति हेतु दर राशि

:– **दरें अंको/शब्दों में ऑनलाईन BOQ शीट में प्रस्तावित**

मैं संलग्न शर्तो/निर्देशों को भली–भांती अध्ययन कर लिया है, मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ एवं इनका पालन करूंगा।

हस्ताक्षर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर

नामः– .....

पिता का नामः– .....

पूर्ण पताः– .....

.....

मोबाईल नं0 :–.....

R.O. AAO ADC(R) ADC

कार्यालय नगर निगम कोटा, राजस्थान

कार्यादेश से दो वर्ष 2026–28 हेतु

कोटा नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर चिन्हित स्थानों पर यूनिपोल लगाकर विज्ञापन प्रदर्शन के वार्षिक लाईसेंस की नीलामी शर्ते

1. कोटा नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर के चिन्हित स्थानों पर यूनिपोल लगाकर विज्ञापन प्रदर्शन के द्विवार्षिक लाईसेंस की अवधि कार्यादेश से दो वर्ष के लिए होगी।
2. यह निविदा नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षित स्थानों पर साईज 20′ X 10′ = 200 वर्गफीट के यूनिपोल पर, स्वीकृत संवेदक द्वारा स्वंय के खर्चे पर यूनिपोल का समस्त स्ट्रक्चर नियमानुसार स्थापित कर, केवल विज्ञापन प्रदर्शन के लाईसेंस की नीलामी के लिये आमन्त्रित की जाती है।
3. यूनिपोल साईट से संबंधित किसी भी जानकारी या वेरिफिकेशन हेतु नगर निगम कोटा के कमरा नं. 238 में कार्यालय समय में जानकारी ली जा सकती है। चिन्हित साईटो के संबंध में आवेदन पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
4. वर्ष 2027–28 में पूर्व के वर्ष 2026–27 की नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ राशि निगम कोष में प्रथम वर्ष की ठेका समयावधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व जमा करवानी होगी।
5. फर्म द्वारा द्वितीय वर्ष 2027–28 में समस्त बकाया राशि जमा कराने एवं निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही पी.जी. राशि वापसी योग्य होगी।
6. विज्ञापन फर्म/प्रतिनिधि द्वारा ली गई साईटो की राशि का भुगतान निगम कोष में जमा करते समय प्रत्येक विज्ञापन यूनिपोल की मूल राशि + जीएसटी 18 प्रतिशत राशि को अलग–अलग कराकर प्रत्येक साईट का स्टेटमेन्ट में दर्शाना होगा। ऐसा नही करने पर राशि का डी.डी. स्वीकार्य नही किये जायेगें।
7. सफल संवेदक को मांग पत्र प्राप्त करने की दिनांक से 15 दिवस में प्रथम वर्ष की सम्पूर्ण ठेका राशि मय जीएसटी. डीडी./ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत परफोरमेन्स गारंटी राशि एफ.डी.आर. अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधी में राशि जमा नही करवाने पर बिना सूचना एच–2 बिडर को प्रस्ताव दे दिया जावेगा।
8. प्रत्येक यूनिपोल साईट हेतु प्राप्त होने वाली अधिकत्म बोली राशि प्रदाता फर्म को ही उस साईट हेतु सफल माना जावेगा।
9. निविदादाता को तकनीकी बिड में प्रत्येक साईट हेतु जमा की गई धरोहर राशि का प्रमाण/रसीद/साईट क्रमांक सूचीबद्व कर तालिका में अपलोड़ करना आवश्यक होगा।
10. स्वीकृत निविदादाता को निविदा में ली गई किसी भी साईट को लाईसेंस अवधि के दौरान छोड़ने एवं परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा।

R.O. AAO CAO/DC(R) ADC

11. राज्य सरकार जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त के आदेश पर फर्म की साईटों पर 15 दिवस के लिए (अलग–अलग दिवसों के लिए) विज्ञापन प्रचार–प्रसार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर फर्म के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
12. संवेदक स्वंय को स्वीकृत संलग्न सूची अनुसार चिन्हित स्थानों में अंकित यूनिपोलो से अधिक यूनिपोल/होर्डिंग इत्यादि विज्ञापन प्रदर्शन के कोई स्ट्रक्चर या उपकरण लगाता है तो उसे अवैध मानकर निगम द्वारा हटाते हुये जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा जब्ती में हुऐ व्यय की वसूली की जावेगी।
13. स्वीकृत निविदादाता द्वारा समय पर मूल राशि व ब्याज जमा न कराने, लाईसेंस अवधि समाप्ति से पूर्व साईट छोड़ने या लाईसेंस सब्लेट करने पर व अन्य शर्तो की अनुपालना न करने की स्थिति में निगम हित में संवेदक की धरोहर/परफोरमेन्स गारंटी राशि जब्त करली जावेगी, बैंक खाता सीज कर लिया जायेगा व स्वीकृत निविदादाता को राज्य स्तरीय ब्लेक लिस्टेड कर प्रथम प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज कराकर निगम द्वारा पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक/स्वीकृत निविदादाता की होगी।
14. निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता फर्म/कम्पनी/संस्था/व्यक्ति को अपने बैंक खाते की सत्य प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।
15. निविदा प्रपत्र पर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर का नवीनतम फोटो जो स्वःप्रमाणित हो चस्पा करना होगा एवं निवास व डाक के पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड (अनिवार्य होगा) एवं पेन कार्ड तथा जीएसटी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से स्वःसत्यापित कर निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।
16. निगम द्वारा निविदा में चिन्हित स्थान पर विज्ञापन यूनिपोल न लगाकर अन्य स्थान या दूरी पर लगा हुआ पाया जाने पर अवैध श्रेणी में मानते हुये बगैर किसी सूचना के हटा दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/संस्था/संवेदक की होगी।
17. सफल निविदादाता को स्वंय को स्वीकृत किसी भी साईट को परिवर्तन (शिफ्टिंग) का अधिकार नही होगा ऐसा पाया जाने पर साईट को अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी। निविदा में स्वीकृत यूनिपोल साईटो को शहर के सौन्दर्यकरण, यातायात एवं विशेष परिस्थतियों में बाधित पाये जाने पर हटाया एवं उक्त साईट के स्थान परिवर्तन करने या नही करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा के अधिकार में निहित होगा।
18. ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि भी फर्म को जमा करानी होगी।
19. निविदा टेण्डर की समस्त राशि डी.डी. द्वारा ही स्वीकार्य होगी अन्यथा नही।
20. विज्ञापन प्रदर्शन अनुज्ञा पत्र नीलामी के द्वारा स्वीकृत वार्षिक लाईसेंस फीस पर जारी किया जावेगा।
21. निविदा प्रपत्र पर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर का नवीनतम फोटो जो स्वःप्रमाणित हो चस्पा करना होगा एवं निवास व डाक के पते के प्रमाण स्वरूप नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाइसेंस, मंतदाता परिचय पत्र में से एक व आधार कार्ड (अनिवार्य होगा) एवं पेन कार्ड निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।

Private Unipol Nivida 26-27.64

RO. AAO CAO/DCR ADC

22. अनुज्ञा अवधि के बीच में किसी भी यूनिपोल साईट को छोड़ा नही जा सकेगा, ना ही इसके लिये किसी तरह का प्रार्थना पत्र आवेदन स्वीकार्य होगा। एक बार विज्ञापन साईट जारी होने पर सम्पूर्ण अनुज्ञा अवधि की राशि ही देय होगी।
23. हर विज्ञापन यूनिपोल पर स्वीकृत फर्म/कम्पनी/संस्था/व्यक्ति को अपना नाम एवं निगम द्वारा जारी साईट नं0 विज्ञापन बोर्ड पर बड़े अक्षरो में अंकित करना होगा जो कि दूर से ही नजर आ सके। ऐसा नही पाये जाने पर उक्त साईट को अवैध मानकर बगैर किसी सूचना के हटा दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/संस्था/व्यक्ति की होगी।
24. बिना कारण बताये ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक महोदय/आयुक्त महोदय नगर निगम, कोटा में निहित होगा। साथ ही किसी विज्ञापन यूनिपोल साईट को निरस्त/स्थानांन्तरित करने का अधिकार भी आयुक्त नगर निगम कोटा में निहित होगा।
25. स्वीकृत लाईसेंसधारी द्वारा स्वंय के खर्चे पर स्थापित यूनिपोल के समस्त स्ट्रक्चर की ऊँचाई जमीन से न्यूनतम 20 फिट तक रखना होगा।
26. संवेदक को यूनिपोल पट्ट लगाते समय यातायात नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। निगम द्वारा स्वीकृत साईट स्थल को ही अधिकृत साईट स्थल माना जायेगा।
27. संवेदक को स्वीकृत किये गये 20 X 10 माप से अधिक लम्बाई व चौड़ाई के विज्ञापन पट्ट लगाने एवं दो तरफा विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति नही होगी। यदि जांच में ऐसा पाया गया तो उक्त साईट अवैध मानकर बिना कोई पूर्व सूचना दिये हटवाकर जब्त की जा सकेगी एवं इसका समस्त खर्चा संवेदक को देना हेागा। इस प्रकार के कार्य से होने वाले नुकसान हेतु संवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
28. स्वीकृत निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी कर, जीएसटी या अन्य कर लाईसेंसधारी को देय होगा, जो मूल राशि के अतिरिक्त होगा।
29. जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र, आयकर प्रमाण–पत्र, कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (**Power of Attorney**) एवं अधिकृत प्रतिनिधि की आई0डी0 की स्वःप्रमाणित फोटो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
30. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नही किया जा सकेगा।
31. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल की देखभाल व निगरानी स्वंय अपने खर्चे से करेंगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान के भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वंय की होगी। नगर निगम कोटा की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
32. किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यूनिपोल के गिरने पर रास्ता अवरोध होने की स्थिति में सूचना के दो घन्टे की अवधि में यूनिपोल को खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
33. निलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक महोदय/आयुक्त महोदय नगर निगम, कोटा को होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नही होगा।
34. निविदा शर्तो में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, कोटा को होगा। संशोधन/परिवर्तन सभी अनुज्ञापत्रधारीयों को मान्य होगा।

RO AAO CAO/DC(R) ADC

35. लाईसेंस की शर्तो के सम्बन्ध में कोई विवाद यदि पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अन्तिम निर्णय आयुक्त नगर निगम कोटा का होगा।
36. स्वीकृत बोलीदाता को निर्धारित राशि के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र अपने खर्चे पर निष्पादित करना होगा।
37. सम्पूर्ण ठेका अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने एवं कोई बाकियात नही रहने पर अनुज्ञापत्रधारी को पी.जी. राशि लौटा दी जावेगी।
38. अनुज्ञापत्रधारी को विज्ञापन कार्य में नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों/प्रतिनिधियों के पूरे नाम, पते एवं मोबाईल नं0 अनुबन्ध पत्र के साथ देने होगें।
39. समस्त प्रकार के यूनिपोल एवं उन पर लगे विज्ञापन के निरीक्षण का अधिकार आयुक्त, उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहा0 राजस्व निरीक्षक का होगा।
40. अनुज्ञा पत्रधारी को उपरोक्त सभी शर्तो या किसी भी एक शर्त का उल्लंघन करने पर अनुज्ञा पत्र निरस्त कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
41. किसी भी वाद की स्थिति में न्याय क्षैत्र कोटा होगा।
42. निविदा के लिये रिस्क एण्ड कोस्ट नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 लागू होगें।
43. भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन/आदेश केन्द्र सरकार/न्यायालय/राज्य सरकार अथवा नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा जारी किये जायेगें उनकी पालना भी विज्ञापन प्रदर्शन लाईसेंसधारी को करनी होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस अथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिये भी बाध्य होगा।
44. विज्ञापन पट्ट पर विद्युत/बैटरी से चलने वाले उपकरणों बल्ब, ट्यूब लाईट आदि से सजावट नही की जावेगी।
45. दस्तावेज अपूर्ण होने पर तकनीकी बिड में असफल घोषित कर दिया जावेगा। जिसका उज्र मान्य नही होगा।
46. कार्यादेश की समयावधि पश्चात् साईटें मौके पर लगी हुई पाए जाने पर अवैध मानकर हटा दिया जावेगा। जिसका हर्जा–खर्चा कम्पनी/फर्म से वसूल किया जावेगा और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
47. निविदा के सम्बन्ध में सर्वाधिकार नगर निगम कोटा में सुरक्षित रहेगें।
48. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तो की पालना करने के लिये बाध्य होगा एवं किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र लाईसेंस अथोरिटी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
49. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार कोटा स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
50. तकनीकी बिड़ में वांछित दस्तावेज स्वयं सूचीबद्व कर संलग्न करें।

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा

Private Unipol Nivida 26-27.66

R.O. AAO EAO/DC(R) ADC

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तो को मैंने भली भांति अध्ययन कर लिया है और मैं निविदा की समस्त शर्तो से पूर्णतः सहमत हूँ और पालना के लिये बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर अधिकृत निविदादाता/प्रोपराईटर/डायरेक्टर

नाम.....
पिता का नाम.....
पता.....
.....
.....
मोबाईल नं0.....
व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/फर्म/ऐजेन्सी का नाम.....
.....
पूर्ण पता.....
.....
ऑफिस का लैण्ड लाईन नं0.....

R.O. AAO CAO/DC(R) ADC

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)
40 यूनिपोल साईटों की सूची
वित्तिय वर्ष 2026–27 हेतु

क्रं सं.	साईट संख्या	यूनीपोल का स्थान	साईज फीट में (ल. X चौ.)	आरक्षित राशि	संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर
1	NNK-7	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम उम्मेद क्लब की तरफ दिवार के अन्दर A	20'X 10'	717750	
2	NNK-8	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम उम्मेद क्लब की तरफ दिवार के अन्दर B	20'X 10'	717750	
3	NNK-9	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम उम्मेद क्लब की तरफ दिवार के अन्दर C	20'X 10'	717750	
4	NNK-10	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम अन्टाघर की तरफ दिवार के अन्दर A	20'X 10'	717750	
5	NNK-11	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम अन्टाघर की तरफ दिवार के अन्दर B	20'X 10'	717750	
6	NNK-12	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम अन्टाघर की तरफ दिवार के अन्दर C	20'X 10'	717750	
7	NNK-13	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम अन्टाघर की तरफ दिवार के अन्दर D	20'X 10'	660000	
8	NNK-14	बड़ चकरी चौराहा पर पम्प हाउस के पास फेसिंग जे.डी.बी. कॉलेज	20'X 10'	712800	
9	NNK-15	बड़ चकरी चौराहा पर पम्प हाउस के पास फेसिंग कोटड़ी चौराहा	20'X 10'	712800	
10	NNK-16	सेवन वण्डर रोड़ पर बाबा रामदेव मन्दिर के पास	20'X 10'	851400	
11	NNK-17	प्राईवेट बस स्टेण्ड कला द्रिघा पार्क के कोर्नर पर	20'X 10'	712800	
12	NNK-18	ग्रीन पार्क गार्डन के बाहर रोड़ पर फेसिंग जे.डी.बी. कॉलेज	20'X 10'	712800	
13	NNK-19	ग्रीन पार्क गार्डन के बाहर रोड़ पर फेसिंग कोटड़ी चौराहा	20'X 10'	712800	
14	NNK-20	बारां रोड़ पर ग्रीन पार्म मोड़ पर डीपी. के पास फेसिंग बोरखेड़ा	20'X 10'	496650	
15	NNK-21	एस.एस तिरूपति टॉवर के सामने रोड़ के दुसरी तरफ फेसिंग बारां रोड़	20'X 10'	808500	
16	NNK-22	बारां रोड़ पर मोर्डन स्कूल के सामने सड़के के दुसरी तरफ रोड़ पर फेसिंग बारां रोड (श्रीनाथ नगर प्रथम)	20'X 10'	453750	
17	NNK-23	बारां रोड़ पर लाल कोठी के पास मोड़ पर फेसिंग बोरखेड़ा	20'X 10'	462000	

R.O. AAO CA/DC(R) ADC

18	NNK-24	ऐलन सुपथ के सामने पुलिस चौकी के पीछे कोरल पार्क	20'X 10'	851400	
19	NNK-25	बारां रोड़ पर लाल कोठी के सामने रोड़ के दुसरी तरफ फेसिंग लाल कोठी	20'X 10'	412500	
20	NNK-26	बारां रोड़ पर मोर्डन स्कूल के सामने सड़क के दुसरी तरफ श्रीनाथ नगर रोड़ पर फेसिंग बोरखेड़	20'X 10'	495000	
21	NNK-27	देवली अरब नयानोहरा तिराहे पर फेसिंग डीसीएम	20'X 10'	379500	
22	NNK-28	देवली अरब नयानोहरा तिराहे पर फेसिंग बोरखेड़ा	20'X 10'	412500	
23	NNK-29	नॉर्दन बाई पास चौराहे पर फेसिंग झालीपुराA	20'X 10'	330000	
24	NNK-30	नॉर्दन बाई पास चौराहे पर फेसिंग झालीपुराB	20'X 10'	330000	
25	NNK-31	नॉर्दन बाई पास चौराहे पर फेसिंग पाटन रोड़A	20'X 10'	288750	
26	NNK-32	नॉर्दन बाई पास चौराहे पर फेसिंग पाटन रोड़B	20'X 10'	288750	
27	NNK-33	एस.एस.डेयरी फार्म के सामने रोड़ के दुसरी तरफ नॉर्दन बाई पास रोड़ A	20'X 10'	288750	
28	NNK-34	एस.एस.डेयरी फार्म के सामने रोड़ के दुसरी तरफ नॉर्दन बाई पास रोड़ B	20'X 10'	288750	
29	NNK-35	सोगरिया पुरानी ग्राम पंचयात रोड़ के मोड़ के दायी ओर फेसिंग सोगरिया रेल्वे स्टेशन	20'X 10'	330000	
30	NNK-36	नयाखेड़ा नहर के पास नान्ता रोड़ मोड़ पर फेसिंग बून्दी रोड़	20'X 10'	412500	
31	NNK-37	नयाखेड़ा नहर के पास नान्ता रोड़ मोड़ पर फेसिंग कुन्हाड़ी रोड़	20'X 10'	536250	
32	NNK-38	नयाखेड़ा नहर के पास बालिता रोड़ मोड़ पर फेसिंग बून्दी रोड	20'X 10'	536250	
33	NNK-39	नयाखेड़ा नहर के पास कुन्हाडी– बालिता रोड़ मोड़ पर फेसिंग बून्दी रोड	20'X 10'	496650	
34	NNK-40	नयाखेड़ा नहर के पास कुन्हाडी– बालिता रोड़ मोड़ सड़क के दुसरी तरफ फेसिंग कुन्हाड़ी रोड़	20'X 10'	496650	
35	NNK-41	इन्दिरा रसोई के सामने नयानोहरा बोरखण्डी फेसिंग बारां रोड़	20'X 10'	371250	
36	NNK-42	बारां रोड़ पर तुलसी रिसॉर्ट मोड पर फेसिंग बोरखेड़ा	20'X 10'	371250	
37	SG-79	जवाहर नगर थाने की बाउण्ड्री के सहारे तलवण्डी सर्किल की तरफ	20'X 10'	702900	
38	SK-104	दादाबाडी तिराहा नाले के पास दादाबाडी रोड की तरफ (दादाबाडी नया बडा चौराहा)	20'X 10'	901420	

Unipol List 26-27.142

RO AAO CAO/DCR ADC

39	SC-29	बिनानी पार्क (माधवदास सिंधिया पार्क) साईड कोने पर छावनी	20'X 10'	726000	
40	SK-102	दादाबाडी तिराहे के पास केशवपुरा रोड की तरफ	20'X 10'	762300	
			कुल योग	**22612120**	

R.O. AAO CAO/DC(W) ADC